16-3-21	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण के MM रजिस्टर [illegible] से [illegible] हो। कर बाद तकमील [illegible]

उप खण्ड अधिका
टो (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
दावा संख्या :– 99 / 2016
दायर दिनाकं :– 01.09.2016
निर्णय दिनांक :– 16.03.2021

उनवान

1 लोहडीराम पुत्र जुवारा
2 रमसी पुत्र जुवारा (फौत)
2/1 राजेश पुत्र रमसी
2/2 लालाराम पुत्र रमसी
2/3 गिरधारी पुत्र रमसी
3 गंगाधर पुत्र जुवारा
4 श्रीराम पुत्र कन्हैयालाल
5 सीताराम पुत्र कन्हैयालाल
6 बद्रीनारायण पुत्र कन्हैयालाल
7 हरीराम पुत्र भगवानसहाय
8 मंगलराम पुत्र भगवानसहाय
9रामावतार पुत्र भगवानसहाय
10 कल्याण पुत्र श्योनाथ
11रेवड पुत्र श्योनाथ
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नामोलाव तह0 व जिला दौसा राज.

(वादीगण)

बनाम

1 बिरद्या पुत्र मांग्या (फौत) हज्फ दिनांक 02.03.2021
2 त्रीवेणिया पुत्र बिरदीचन्द (फौत) हज्फ दिनांक 02.03.2021
3 श्रवण पुत्र बिरदीचन्द्र
4 रामकिशन पुत्र बिरदीचन्द्र
5 हरसहाय पुत्र बिरदीचन्द्र
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नामोलाव तह0 व जिला दौसा राज.
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति :– 1 श्री अविनाश नागर अधिवक्ता वादीगण
2 श्री रामास्वरूप बैरवा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 14:26:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम नामोलाव तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 3814 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 3832 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 3860 रकबा 0.26 है0, तथा खसरा नम्बर 3861 रकबा 0.25 है0, भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 भूमि के खातेदार वादीगण है। वादीगण तथा उनके पूर्वजो का कब्जा लग भग 47 वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा है, वादीगण तथा वादीगण के पूर्वज काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा है। उपरोक्त भूमि का सन् 1968 में साबिक खसरा नम्बर 1442 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा था जिसकी खातेदार स्व0 रमली बेवा घासी मीना निवासी नामोलाव थी। दिनांक 23.11.1968 को उक्त भूमि को रामचन्द्र, श्योनाथ, ज्वारा, पिसरान पांचू कोम मीना साकिन नामोलाव को उप पंजीयक दौसा के समक्ष विधिवत पंजीयन करवा दिया था। तत्पश्चात उक्त भूमि के खसरा नम्बर बदल कर वर्तमान खसरा नम्बर 3814, 3832, 3860, एवं 3861 कुल रकबा 1.05 है0 कायम किये गये। वादीगण उपरोक्त क्रेता रामचन्द्र श्योनाथ व ज्वारा के वारिसान है। विक्रय–पत्र के आधार पर वादीगण की खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादीगण ने अपनी खातेदारी की घोषणा व दुरूस्त इन्द्राज हेतु पृथक से दावा कर रखा है।

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.11.1968 के आधार पर वादीगण के पूर्वजो रामचन्द्र, श्योनाथ व ज्वारा के नाम खातेदारी का नामान्तकरणन राजस्व कर्मचारियों की भूल से नही होने के कारण खातेदारी का इन्द्राज विक्रेता रमली बेवा घासी के नाम ही रह गया तथा रमली बेवा घासी ने प्रतिवादी नम्बर 1 बिरदीचन्द मीना के साथा पुनर्विवाह कर लिया था और अपना नाम रमली के बजाय रामप्यारी रख लिया जिसके कारण राजस्व रिकार्ड मे भी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी का इन्द्राज रमली बेवा घासी को बदल कर श्रीमती रामप्यारी पत्नि बिरदीचन्द मीना दर्ज कर दिया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:20:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रमली उर्फ रामप्यारी का देहान्त बहुत समय पूर्व हो गया। रिकार्ड में श्रीमति रामप्यारी पत्नि बिरदीचन्द का नाम गलत दर्ज होने के कारण इस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम करवाकर व वादग्रस्त भूमि को बेचने की कुचेष्टा कर रहे है। दिनांक 14.07.2016 में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 ने कहा कि उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम करवाकर भूमि पर जबरन कब्जा करेगें। भूमि को अन्य को बेच कर बेदखल करवाने की कार्यवाही करेगें अतः बिनाय मुखासमत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

वादीगण ने अपने वाद में अनुतोष चाहा है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3814, 3860, 3861 व 3832 का प्रतिवादीगण किसी भी अंश का नामान्तकरण अपने पक्ष नही कराने हेतु स्थाई रूप से प्रतिबन्धित कराने तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

वादीगण के [द्वारा] उक्त वाद न्यायालय में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री रामस्वरूप बैरवा अधिवक्ता के द्वारा पावर पेश किया गया। उभयपक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बिना तस्दीक पत्रावली पर उपलब्ध है। राजीनामा में वाद में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद को डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया है। राजीनामा की बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

उभयपक्षो के वकीलो की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध कार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकीलो की बहस पर मनन किया ा। पत्रावली में प्राप्त नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4, 3832, 3860 तथा 3861 कुल किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 भूमि रामप्यारी पत्नि ो जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे दार दर्ज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

स्थाई निषेधाज्ञा के वाद मे वादीगण का राजस्व रिकार्ड मे खातेदार दर्ज होना आवश्यक है। दिनांक 20.11.1968 के विक्रय-पत्र का राजस्व रिकार्ड मे अमल हुये बिना वादीगण को खातेदार नही माना जा सकता है। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा भी औचित्यहीन है।

अतः वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार दर्ज नही होने से वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया जाता है । पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

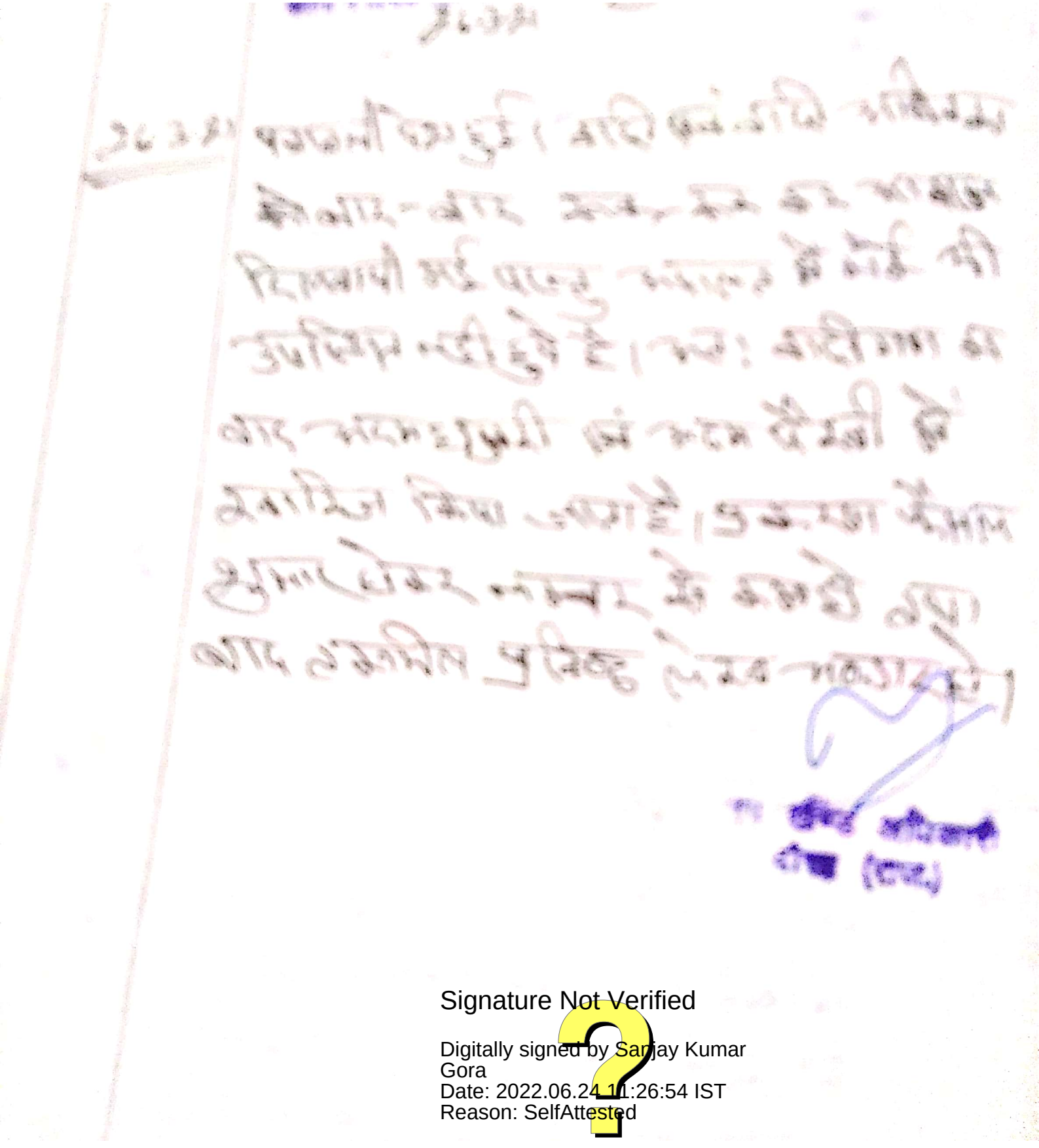

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner